उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ

विज्ञापन संख्या॰ 06- परीक्षा / 2016

सम्मिलित अवर अभियन्ता (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016

ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि – 05.05.2016

ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि – 07.05.2016

परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि – 25.05.2016

ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि – 27.05.2016

आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि – 30.05.2016

आयोग के विज्ञापन संख्या- 06-परीक्षा/2016 द्वारा विभिन्न विभागों में रिक्त अवर अभियन्ता (सिविल, यांत्रिक एवं जल) के रिक्त कुल 478 पदों पर, जिनका आरक्षित श्रेणीवार विवरण आगे बिन्दु-7 की सारणी-1 में दिया गया है, के सापेक्ष चयन हेतु, भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त समस्त रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन सबमिट (SUBMIT) करना है।

विशेष सूचना

परीक्षा शुल्क का भुगतान रजिस्ट्रेशन होने के अगले कार्य दिवस को या उसके बाद किया जा सकता है। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने एवं आवेदन सबमिट करने की दशा में ही उसका आवेदन पूर्ण होगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उसे निरस्त माना जाएगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन सबमिट (SUBMIT) करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। कृपया एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक बार से अधिक फीस का भुगतान न करें।

2- ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाण पत्र / अंक तालिका आदि प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।

ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना –

इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें।

"ऑनलाइन आवेदन" करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों को भली-भांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

आयोग की वैबसाइट http://upsssc.gov.in पर "ऑल नोटीफिकेशन / एडवरटिजमेंट डिटेल्स" (all notification / advertisement details) अभ्यर्थी द्वारा क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवरटिजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं :-

1- यूजर इन्सट्रक्शन (user instruction)

2- व्यू एडवरटिजमेंट (view advertisement)

3- अप्लाई (apply)

यूजर इन्सट्रक्शन (user instruction)- में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबन्धित दिशा-निर्देश दिये गए हैं। इसके बाद अभ्यर्थी व्यू एडवरटिजमेंट (view advertisement) को क्लिक करें। ऐसा करने पर पूरा विज्ञापन प्रदर्शित होगा। आवेदन हेतु अप्लाई (apply) पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जाएगा :-

प्रथम स्तर – अप्लाई क्लिक करने पर परिशिष्ट -1 में परीक्षा के सापेक्ष कैंडीडेट रजिस्ट्रेशन (candidate registration) क्लिक करने पर अभ्यर्थी का बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म (परिशिष्ट -2) प्रदर्शित होगा।

फॉर्म भरने के पश्चात सबमिट (Submit) बटन पर क्लिक करने से प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा। तत्पश्चात (कैंडीडेट रजिस्ट्रेशन एकनोलेजमेंट) (परिशिष्ट -3) प्रदर्शित होगा, जिसे प्रिंट पर क्लिक करके मुद्रित किया जा सकेगा।

द्वितीय स्तर – परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु वेबसाइट पर दिये गए लिंक को क्लिक करें, शर्तो को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। इसके बाद स्टेट बैंक कलेक्ट पर जाकर ई-चालान या ऑनलाइन माध्यमों (इंटरनेट बैंकिंग / कार्ड्स) से परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है। कैटेगरी का चयन करें, रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्मतिथि (dd/mm/yyyy के रूप में) भरें एवं सबमिट करें। स्क्रीन पर भरी हुई सभी प्रविष्टियाँ सत्यापित करें एवं सत्यापित प्रविष्टियाँ भरें एवं सबमिट करें। इन्हें पुनः सत्यापित कर कन्फ़र्म करें। अब पेमेंट ऑप्शन्स स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इनमें से भुगतान का माध्यम चयन करें। SBI इंटरनेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड /क्रेडिट कार्ड /अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग, अथवा SBI की किसी शाखा में नकद भुगतान के लिए ई-चालान के लिए SBI ब्रांच का चयन करें। ई-चालान भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा पर जमा किया जा सकता है। यदि ऑनलाइन भुगतान का चयन किया गया है तो स्क्रीन पर दिये गए निर्देशों के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। ई-चालान के साथ भारतीय स्टेट बैंक की, जिले की, किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित धनराशि (ई-चालान में मुद्रित होगी) जमा करके भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न करने के पश्चात विभाग की वैबसाइट पर प्रिंट ई- रिसीप्ट के आप्शन का चयन करते हुए ई-रिसीप्ट का प्रिंट आउट प्राप्त कर लें। ई-चालान की एक प्रति बैंक से प्राप्त कर लें तथा इसे अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। बैंक द्वारा अभ्यर्थी को वापस की गयी ई-चालान की प्रति में बैंक द्वारा ट्रांजेक्सन आई. डी / जरनल नंबर (डीयू.....) छपी हुई होगी जिसका उपयोग तृतीय स्तर पर आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी को करना होगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करते समय स्क्रीन पर (डीयू.....) ट्रांजेक्शन नंबर दिखाया जाएगा जिससे ई-रिसीप्ट का प्रिंट भी लिया जा सकता है।

तृतीय स्तर- बैंक में शुल्क जमा करने के दिनांक के बाद दो दिन छोड़कर अग्रेतर कार्य दिवस में (अपरान्ह 2 बजे के पश्चात) अभ्यर्थी को आयोग की वैबसाइट पर प्रदर्शित सबमिट एप्लिकेशन फार्म बटन को क्लिक करने पर प्रदर्शित फ़ार्मेट में ऑनलाइन सूचनाएँ भरनी होगी तथा फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसका नमूना परिशिष्ठ -6 पर है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है की वे अपने हाल के नवीनतम, आवक्ष तक के रंगीन फोटोग्राफ सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ तथा नमूना हस्ताक्षर की स्कैनिंग करके प्रविष्ट

(upload) करेंगे। । फोटोग्राफ,(*.jpe,*.jpeg,*.jpg) के प्रारूप पर होगा जिसका आकार 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी काली स्याही से हस्ताक्षर करके उसको स्कैन करेंगे। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता तो ऑनलाइन आवेदन, सिस्टम पर स्वीकार नहीं होगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया (परिशिष्ट-7) में दी गई है। अभ्यर्थी फोटो अपलोड करने के उपरांत वेरिफिकेशन कोड डालकर जब सबमिट करेगा तो आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद "व्यू एप्लीकेशन फार्म" को क्लिक करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनाएँ सही-सही भरी गयी है और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ऑनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु "सबमिट" बटन को क्लिक करें,अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएं सही- सही निर्देशानुसार ऑनलाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट बटन को क्लिक करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा सबमिट बटन को क्लिक नहीं किया जाएगा तो आवेदन सबमिट नहीं होगा। इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "सबमिट" बटन को क्लिक करने के पश्चात आवेदन का प्रिंटआउट परिशिष्ट-7ए लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें । अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन करते समय पूरी सावधानी बरतें। चूंकि किसी विसंगति के लिए आयोग जिम्मेदार न होगा।

नोट- अभ्यर्थी कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्तर का अनुपालन सुनिश्चित कर लें। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के बाद तृतीय स्तर में दी गयी प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है और उसके अंतर्गत अंतिम रूप से अपना आवेदन सबमिट नहीं करता है तो आवेदन की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। अभ्यर्थी के अंतिम रूप से आवेदन सबमिट न करने की दशा में उनका आवेदन अपूर्ण रह जाएगा और उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

3. एक बार आवेदन "सबमिट" करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

4. <u>आवेदन शुल्क</u> – ऑनलाइन आवेदन के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का प्रारूप भरने के बाद उपरिवर्णित विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। स्टेट बैंक ई- कलेक्ट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार नहीं होगा। आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	(आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क) योग
(1)	अनारक्षित (सामान्य)	200.00	25.00	225.00
(2)	अन्य पिछड़ा वर्ग	200.00	25.00	225.00
(3)	अनुसूचित जाति	80.00	25.00	105.00
(4)	अनुसूचित जनजाति	80.00	25.00	105.00
(5)	विकलांगजन	---	25.00	25.00

<u>नोट</u>- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक-1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।

5.अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त चयनों / परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

6. सबमिट किये गए आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि तक वे दूसरा आवेदन (सेकंड रजिस्ट्रेशन) संशोधित सूचना के साथ, पुनः आवेदन शुल्क जमा करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा और उसका

समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन "सबमिट" करने की दशा में अंतिम आवेदन ही स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।

7. विभिन्न विभागों में रिक्त 478 पदों का श्रेणीवार विवरण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर निम्नवत है:-

सारणी-1

				पदों की संख्या						
पद क्रम सं०	विभाग का नाम	पद नाम	वेतन बैन्ड/ वेतनमान/ ग्रेड पे	01 जुलाई, 2016 को आयु (न्यूनतम-अधिकतम) वर्षों में।	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल पद	पदों की प्रकृति
1-	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	अवर अभियन्ता (यांत्रिक)	रु०9300-34800/- ग्रेड पे-4200/-	18-40	06	--	23	11	40	स्थायी
2-	निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।	अवर अभियन्ता (सिविल)	रु०9300-34800/- ग्रेड पे-4200/-	18-40	25	--	26	--	51	स्थायी
3-	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।	अवर अभियन्ता (सिविल)	रु०9300-34800/- ग्रेड पे-4200/-	18-40	--	02	01	--	03	अस्थायी
4-	अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन परियोजना, लखनऊ।	अवर अभियन्ता (सिविल)	रु०9300-34800/- ग्रेड पे-4200/-	21-40	12	17	01	--	30	अस्थायी
5-	निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	अवर अभियन्ता (जल)	रु०9300-34800/- ग्रेड पे-4200/-	21-40	67	26	06	51	150	अस्थायी
6-	प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०, लखनऊ।	अवर अभियन्ता (सिविल)	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2800/-	21-40	22	--	--	02	24	अस्थायी
7-	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, लखनऊ।	अवर अभियन्ता (सिविल)	रु०9300-34800/- ग्रेड पे-4200/-	18-40	07	--	--	01	08	अस्थायी
8-	कृषि नेदशक, उ०प्र० लखनऊ।	अवर अभियन्ता	रु०9300-34800/- ग्रेड पे-4200/-	18-40	64	57	05	46	172	अस्थायी/ स्थायी
					203	102	62	111	478	

विभागवार क्षैतिज आरक्षण

उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित विभागों में से क्षैतिज आरक्षण के संबंध में विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत है:-

सारणी-2

विभाग का नाम	पदनाम	क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी	पदों की संख्या
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	अवर अभियन्ता (यांत्रिक)	(i)- विकलांगजन (ii)- भूतपूर्व सैनिक (iii)- महिला	01 02 08
निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।	अवर अभियन्ता (सिविल)	(i)- स्व०संग्राम सेनानी के आश्रित (ii)- विकलांगजन (iii)- भूतपूर्व सैनिक (iv)- महिला	01 01 02 10
अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन परियोजना, लखनऊ।	अवर अभियन्ता (सिविल)	(i)- भूतपूर्व सैनिक (ii)- महिला	01 06
निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	अवर अभियन्ता (जल)	(i)- स्व०संग्राम सेनानी के आश्रित (ii)- विकलांगजन (OL, OA, PD PB) (iii)- भूतपूर्व सैनिक (iv)- महिला	03 04 07 30
प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०, लखनऊ।	अवर अभियन्ता (सिविल)	(i)- भूतपूर्व सैनिक (ii)- महिला	01 04
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि०, लखनऊ।	अवर अभियन्ता (सिविल)	(i)- महिला	01
कृषि नेदशक, उ०प्र० लखनऊ।	अवर अभियन्ता	(i)- स्व०संग्राम सेनानी के आश्रित (ii)- विकलांगजन (OL, OA, PD PB) (iii)- भूतपूर्व सैनिक (iv)- महिला	03 05 08 34

नोट- उपर्युक्त विभागों में रिक्त सभी पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है।

टिप्पणी

(1)- उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी, जो 01 जुलाई, 2016 को पद के सम्मुख अंकित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं और पद हेतु विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, जिसका उल्लेख आगे सारणी-3 में किया जा रहा है, धारित करते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

(2)- विकलांगजनों (केवल चिन्हित पदों पर), महिलाओं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक शासनादेशों में विहित नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(3)- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों शासनादेशों में निर्धारित/ अध्यादेशों/नीति निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

(4)- उपर्युक्त सारणी-1 व 2 में श्रेणीवार पदों की संख्या संबन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए आरक्षित श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है।

(5)- रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

8- अनिवार्य अर्हता(शैक्षिक):-

उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित पदों पर भर्ती हेतु विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अधिमानी अर्हता जो निम्न सारणी-3 में, पदनाम के सम्मुख अंकित है, पद हेतु विहित अनिवार्य अर्हता, आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करने वाले अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:-

सारणी-3

पद क्रमांक	पद नाम	अनिवार्य अर्हता/ अधिमानी अर्हता
1-	अवर अभियन्ता (यांत्रिक)	1- किसी संस्था या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा यांत्रिक अभियंत्रण में दिया गया डिप्लोमा, या 2- प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा यांत्रिक अभियंत्रण में दिया गया डिप्लोमा, या 3- अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा यांत्रिक अभियंत्रण में दिया गया राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र।
2-	अवर अभियन्ता (सिविल)	उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखता हो।
3-	अवर अभियन्ता (सिविल)	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश में अवर अभियन्ता (सिविल) की भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण-पत्र की सूची :- 1- रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया ओवर सियर प्रमाण–पत्र। 2- थामसन इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की द्वारा अपने विद्यार्थियों को दिया गया ओवर सियर प्रमाण-पत्र। 3- थामसन इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की द्वारा सिविल इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ के विद्यार्थियों को दिया गया ओवर सियर प्रमाण-पत्र। 4- थामसन इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की द्वारा हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ के विद्यार्थियों को दिया गया ओवर सियर प्रमाण-पत्र । 5- मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा दिया गया ओवर सियर प्रमाण-पत्र। 6- इंजीनियरिंग कॉलेज, पूना द्वारा दिया गया ओवर सियर प्रमाण-पत्र। 7- उड़ीसा इंजीनियरिंग स्कूल, कटक द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में दिया गया डिप्लोमा। 8- केंद्र या राज्य विधान मण्डलों के किसी अधिनियम द्वारा निगमित भारत में विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया ओवर सियर प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा। 9- एडहाक बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन उत्तर प्रदेश द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में दिया गया डिप्लोमा। 10- प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में दिया गया डिप्लोमा। 11- अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र। प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से निर्माण प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा।
4-	अवर अभियन्ता (सिविल)	उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद से सिविल / कृषि अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है।
5-	अवर अभियन्ता (जल)	किसी मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थान से विद्युत / यांत्रिक में त्रिवर्षीय डिप्लोमा।
6-	अवर अभियन्ता (सिविल)	1- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा : या

		2- उत्तर प्रदेश, प्राविधिक शिक्षा परिषद, द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा : या 3- अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण- पत्र : या 4- प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सिविल या ग्रामीण अभियंत्रण में प्रदत्त 03 वर्ष का डिप्लोमा।
7-	अवर अभियन्ता (सिविल)	सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा। वरीयता- अनुभव को वरीयता।
8-	अवर अभियन्ता	1- माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। 2- प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से कृषि अभियंत्रण में त्रिवर्षीय डिप्लोमा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता जो ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित हो।

नोट – (1)- पद क्रम संख्या- 03, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र०, लखनऊ में अवर अभियन्ता (सिविल) के पदों पर चयन के संबंध में ऐसे अभ्यर्थी जो अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों में विभाग में पहले से कार्य कर रहे ओवर सियर जिन्होने हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ या सिविल इंजीनियरिंग स्कूल से अपने प्रमाण-पत्र वर्ष 1936 में या उसके पश्चात प्राप्त कर लिए हो और उस वर्ष से जब से ऐसे प्रमाण पत्र थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की द्वारा दिये जाने प्रारम्भ किए गए हों, सेवा में भर्ती के लिए, यदि वे अन्यथा पात्र हों, अर्ह समझा जायेगा।

(2)- पद क्रम संख्या- 06, प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०, लखनऊ में अवर अभियन्ता (सिविल) के पदों पर चयन के संबंध में ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने उक्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो, की वर्षवार सूची विभाग द्वारा अनुरक्षित की जायेगी, पूर्व में प्रशिक्षित व्यक्ति को बाद में प्रशिक्षित व्यक्ति से ज्येष्ठ माना जायेगा, जिसका तात्पर्य यह है कि प्रशिक्षणार्थियों में भी पूर्व प्रशिक्षित व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा।

(3)- उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० के नियमित कार्मिकों को नियमानुसार अधिकतम आयुसीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० के अप्रेंटिसशिप पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को शासनादेश सं०- 66/का-3-2000-13/90/98, दिनांक 24.03.2000 में विहित प्रविधानों के अंतर्गत शिथिलता प्रदान की जाएगी।

9- <u>अधिमानी अर्हता</u>:- उपर्युक्त पदों के लिए अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने,

1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या

2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

3- प्रशिक्षणार्थी के रूप में एक वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। (केवल पदक्रम संख्या- 06, प्रबंध निदेशक, यू०पी० प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि०, लखनऊ के अवर अभियन्ता (सिविल) हेतु लागू)

10- <u>आयु सीमा :-</u> :- आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई 2016 है और उक्त तिथि को अभ्यर्थी की आयु उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित पद के सम्मुख अंकित आयुसीमा के अंतर्गत हो। जिन पदों हेतु आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित है, ऐसे पदों के लिए अभ्यर्थी ने 01 जुलाई 2016 (01-07-2016) को 18 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो अर्थात उसका जन्म 02 जुलाई 1976 से पूर्व तथा 01 जुलाई 1998 के बाद न हुआ हो और जिन पदों हेतु आयु 21 से 40 वर्ष निर्धारित है, ऐसे पदों के लिए अभ्यर्थी ने 01

जुलाई 2016 (01-07-2016) को 21 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो अर्थात उसका जन्म 02 जुलाई 1976 से पूर्व तथा 01 जुलाई 1995 के बाद न हुआ हो।

(1)- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो। शासनादेश दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट 01 जुलाई 2016 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटा कर, परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। आवेदन की अंतिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है।

(2)- समाज के विकलाँगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन, नवीनतम विद्यमान शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

11- आरक्षण- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों / उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र०के अन्य पिछड़े वर्गो को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा – उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/ विकलांगजनों(केवल चिन्हित पदों के सापेक्ष कोटा बनने पर)/ भूतपूर्व सैनिक, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोट- आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट -8 में मुद्रित तथा वैबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे आयोग को प्रस्तुत करें।

12 - <u>चयन का आधार-</u> लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है। प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। **अवर अभियन्ता के पदों पर चयन किए जाने हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम निम्नवत है :-**

<u>अवर अभियन्ता (सिविल / विद्युत / यांत्रिक) के पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम</u>

प्रश्नगत परीक्षा 02 चरणों में आयोजित की जायेंगी। लिखित परीक्षा में 02 प्रश्नपत्र होंगे, जिनके कुल अधिकतम अंक 750 होंगे तथा साक्षात्कार के अंक 250 होंगे। इस प्रकार से अभ्यर्थियों का चयन कुल 1000 अंकों के आधार पर किया जायेगा। विवरण निम्नवत् है:—

<u>परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम</u>

<u>प्रथम चरण</u>

लिखित परीक्षा हेतु विषय तथा पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा तथा प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक प्रकार के होंगे।

<u>परीक्षा योजना</u>

क्र0सं0	प्रश्नपत्र भाग		विषय	प्रश्नों की सं0	निर्धारित अंक	समयावधि	अभ्युक्ति
1	प्रश्नपत्र–प्रथम	भाग–1	सामान्य हिन्दी तथा अंग्रेजी	75	75	दो घण्टा तीस मिनट	अवर अभियन्ता सिविल, विद्युत एवं यांत्रिक तीनों के लिये पृथक–पृथक प्रश्नपत्र
		भाग–2	सामान्य बुद्धि परीक्षण तथा सामान्य जानकारी, सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान।	100	300		

2	प्रश्नपत्र–द्वितीय	भाग–1	सिविल इन्जीरियरिंग, विद्युत इन्जीनियरिंग एवं यांत्रिक इन्जीनियरिंग (भवन सामग्री, स्टीमेटिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, इरीगेशन इंजीनियरिंग एण्ड फलूड मशीन एण्ड मशीनरी)	125	375	दो घण्टा	तैयार करायें जायेंगे।
			योग	375	750		
द्वितीय चरण			साक्षात्कार	–	250		
			कुल योग	–	1000		

<u>सामान्य अंग्रेजी</u>– इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों से अंग्रेजी भाषा का ज्ञान तथा उनकी समझ एवं लेखन योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे। यह प्रश्नपत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद्,उत्तर प्रदेश के हाईस्कूल परीक्षा के स्तर का होगा ।

<u>भाग–2</u>

<u>सामान्य बुद्धि परीक्षण</u>– इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य किसी नयी परिस्थिति को समझने,उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण, पहचान करने तथा तर्क करने की योग्यता को मापना है। अतः इस प्रश्नपत्र में अनुदेशों को समझने, सम्बन्धों, संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित प्रश्न होंगे।

<u>सामान्य जानकारी</u>– इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों के चारों ओर के वातावरण के बारे में उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता आँकने के लिए है। इस प्रश्नपत्र में सम–सामायिक घटनाओं, प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले/अनुभव में आने वाले तथ्यों जिनमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य भी सम्मिलित होंगे, के साथ–साथ अभ्यर्थियों के वैज्ञानिक पहलुओं के ज्ञान से संबंधित प्रश्न रखे जायेंगें।

<u>सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान</u>– इस प्रश्नपत्र में पेरीफैरिकल डिवाइस, नम्बर सिस्टम, मेमोरी, इन्टरनेट, मॉडम, आपरेटिंग सिस्टम, भाषायें, एम0एस0 आफिस, एम0एस0वर्ड, एम0एस0एक्सेल, ई–मेल से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे।

द्वितीय प्रश्नपत्र

<u>भाग–1</u>

<u>सिविल</u>

इस प्रश्नपत्र में बिल्डिंग मैटीरियल्स, इस्टीमेटिंग, कास्टिंग एण्ड वैल्यूवेशन, सर्वेइंग, स्वायल मशीन्स, हाईड्रोलिक्स ट्रान्सपोरटेशन इन्जीनियरिंग, इन्वायरलमेन्टल इन्जीनियरिंग, स्टैण्डर्ड टेस्ट्स, यूजेज एण्ड मैन्यूफैक्चर/क्वायरिंग आफ मैटीरियल्स, इस्टीमेटिंग एनालसिस आफ रेट्स, मैथड एण्ड यूनिट आफ मेजरमेन्ट, अर्थवर्क, ब्रिकवर्क (माड्यूलर/ट्रेडीशनल ब्रिक्स), आर0सी0सी0 वर्क, टिम्बर वर्क, पेन्टिंग, शटरिंग, वैल्यू एण्ड कास्ट, स्कैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, मैथेड आफ वैल्यूवेशन, ट्यूबवेल, आइसोलेट्स एण्ड कम्पाइन्ड फुटिंग्स, पाइल्स एण्ड पाइल्स कैप्स, सिम्पन्स रूल, सेंटरलाइन मैथड, मिड सेक्शन फार्मूला, प्रिन्सिपल आफ सर्वेइंग मेजरमेन्ट आफ डिस्टेन्स, वर्किंग आफ प्रिज्मेटिक कम्पास, प्लेन टेबल सर्वेइंग, थैडोलाइट ट्रावर्सिंग, लेबलिंग, मैथड आफ काउन्टिंग, टेम्प्रेरी एण्ड परमानेन्ट एडजेस्टमेन्ट आफ डम्पीलेबल, अर्थवर्क केलकुलेशन, सर्वेइंग

इक्युपमेन्ट, ओरिजन आफ स्वायल, फेज डायग्राम, डिफिनेशन वाइड रेशियो, वाटर कान्टेन्ट, आई0एस0आई0 स्वायल क्लासीफिकेशन, इफेक्टिव स्ट्रेस, कन्सालीडेशन आफ स्वायल, प्रिन्सिपल आफ कन्सालीडेशन, नार्मली कन्सालिडेटेड स्वायल, एक्टिव एण्ड पैसिव अर्थ प्रेशर्स, फ्ल्यूड प्रापर्टीज, मेजरमेन्ट आफ फ्लो, फ्लो इन ओपेन चैनल, पम्प्स एण्ड टरबाइन, हाइवे इन्जीरियरिंग, ट्रैफिक इन्जीनियरिंग, स्वीपर्स, हाइवे ड्रेनेज, रेलवे इन्जीनियरिंग, ट्रैक ज्यामीट्रिक, क्वालिटी आफ वाटर, नीड आफ सैनीटेशन,सीवेज सिस्टम, सरफेस वाटर ड्रेनेज,एयर पलूशन–काजेश,इफेक्टस,कन्ट्रोल, टाइप आफ बीम–डिटरमिनेट एण्ड इनडिटरमिनेट,डैम्स एण्ड रिटेनिंग वाल्स, स्लोप डिफलेक्शन सिमनली सर्पोटेड एण्ड कैन्टीलीवर बीमस,कन्कीट टैक्नोलोजी,प्रापर्टी एण्ड यूजेस आफ कन्कीट,इम्पोर्टेंस आफ वाटर क्वालिटी,वाटर सीमेंट रेशियो, स्टोरेज,बैचिंग,मिक्सिंग,रिपेयर एण्ड मेटीनेंन्स आफ कन्क्रीट स्ट्रक्चर,आर0सी0सी0बीम–फलेक्चुरल स्ट्रेन्थ, शीयर स्ट्रैथ, बांड स्ट्रैथ, टी बीम्स, वनवे एण्ड टूवे स्लैबस,आइसोलेटेड फुटिंग्स, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क्स, कालम्स, स्टेयर केसेज,रिटेनिंग वाल,वाटर टैंक (आर0सी0सी0 डिजाइन कोसचनश में बी बेस्ड आन बोथ लिमिट स्टेट एण्ड वर्किंग स्ट्रैस मैथेड, स्टील डिजाइन एण्ड कन्स्ट्रक्शन आफ स्टील कालम, बीम रुफ ट्रूसेजप्लेट एण्ड ग्रिडस) से संबंधित प्रश्न रखे जायेंगे।

विद्युत–

इस प्रश्नपत्र में बेसिक कानसेप्टस,सर्किट ला,मैगेनेटिक सर्किट,ए0सी0फण्डामेन्टल्स, मेजरमेन्ट एण्ड मेजरिंग इन्स्ट्रूमेन्टस, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फैक्शनल किलोवाट मोटर्स एण्ड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, जेनरेशन, ट्रांसमिशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टीमेशन एण्ड कास्टिंग, यूटिलाइलेशन एण्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी,

कांसेप्ट्स आफ रेजिस्टेन्स, इंडक्टेन्स, कैपेसिटेन्स, वैरियस फैक्टर्स, कासेप्ट्स आफ करेन्ट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, सिम्पल सर्किट सैल्यूशन, डिफरेन्स काइन्ड्स आफ मैग्नेटिक मैटीरियल्स, कान्सेप्ट आफ फ्लक्स, एम0एम0एफ0, मैग्नेटिक कैलकुलेशन फार कन्डक्टर्स आफ डिफरेन्ट कान्फिगरेशन, इलेक्टोमैग्नेटिक इन्डक्शन, सेल्फ एण्ड म्यूचुअल इंडक्शन, पॉलीफेज सिस्टम, स्टार एण्ड डेटा कनेक्शन, थ्रीफेज पावर, एवेरेज वैल्यू आफ अल्टेरनेटिंग वेब्स, मेजरमेन्ट आफ पावर(1 फेज एण्ड 3 फेज बोथ एक्टिव एण्ड रिएक्टिव) एण्ड एनर्जी, मेजरमेन्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी एण्ड फेज एंगल, आमेटर एण्ड वोल्टमीटर बोथ मूविंग आयल एण्ड मूविंग आयरन, एक्टेंशन आफ रेन्ज वॉटमीटर, मल्टीमीटर्स, यूज आफ सी0आर0ओ0, सिग्नल जेनरेटर, अर्थ फाल्ट डिटेक्शन, डी0सी0मशीन–कन्ट्रक्शन, बेसिक प्रिन्सिपल आफ डी0सी0मोटर्स एण्ड जेनरेटर्स, मैथेड आफ ब्रेकिंग मोटर, ट्रांसफार्मर–कन्स्ट्रक्शन, प्रिन्सिपल आफ आपरेशन, वोल्टेट रेग्यूलेशन, आटो ट्रान्सफार्मर्स, 3फेज इंडक्शन मोटर्स, इफेक्ट आफ वोल्टज एण्ड फ्रिक्वेंशी वैरीएशन आन स्पीड्स, करेक्टर्सटिक्स एण्ड एप्लीकेशन्स आफ फैक्शनल किलोवाट मोटर्स एण्ड सिंगल फेज इन्डक्शन मोटर्स, जेनरेशन आफ 3 फेज ई0एम0एफ आर्मेचर रिएक्शन, वोल्टेज रेग्यूलेशन, पैरलल आपरेशन आफ 2 अल्टरनेटर्स, स्टीमेशन आफ लाइटिंग स्कीम्स, इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रालेशन आफ मशीन एण्ड रिलीवेंट आई0ई0रूल्स, अर्थिंग प्रैक्टिसेस एण्ड आई0ई0रूल्स, टाइप आफ पावर स्टेशन्स, लोट फैक्टर्स, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, कास्ट आफ जेनरेशन इन्टरकनेशन आफ पावर स्टेशन, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेन्ट, केबिल–डिफेन्ट टाइप्स आफ केबिल, केबिल रेटिंग एण्ड डिरेटिंग फैक्टर, वैरियस टाइप आफ टैरिफ, टाइप्स आफ फाल्ट्स, शार्ट सर्किट, स्विचगीयर्स–रेटिंग आफ सर्किट्स ब्रेकर्स, प्रोटेक्शन अगेन्स्ट अर्थ लिकेज/ओवर करेन्ट, एफिसिएन्सी आफ डिफरेन्ट सिस्टम,इलूमीनेशन,इलेक्ट्रिक हीटिंग,इलेक्ट्रिक वेल्डिग,इलेक्ट्रोप्लेटिंग,इलेक्ट्रिक डिवाइस एण्ड मोटर्स, वर्किंग आफ वैरियस इलेक्ट्रोनिक डिवाइसेस, सिम्पल सर्किट्स।

मैकेनिकल–

इस प्रश्न पत्र में थ्योरी आफ मशीन्स एण्ड मशीन डिजाइन, कान्सेप्ट आफ सिम्पल मशीन, फोर बार लिंकेज एण्ड लिंक मोशन, फ्लाईव्हील्स एण्ड फ्लैक्चुएशन आफ एनर्जी, पावर ट्रान्समिशन बाई बेल्ट्स–वी बेल्ट्स एण्ड फ्लैट वेल्ट्स, क्लचेस–प्लेट एण्ड कॉनिकल गियर्स, टाइप आफ गियर्स, गियर प्रोफाइल एण्ड गियर रेशियो कलकुलेशन, गर्वनर्स–प्रिन्सिपल एण्ड क्लीसीफिकेशन, इन्जीनियरिंग मशीन एण्ड स्ट्रेन्थ आफ मैटीरियल्स, रिवेटेड ज्वाइंट, केम्स, बीयरिंग्स, इक्वलीबेरियम आफ फोर्सेस, लॉ आफ मोशन, फ्रिक्शन, कान्सेप्ट स्ट्रेस एण्ड स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट एण्ड इलास्टिक कान्सटेंट, बेंडिंग मूमेन्ट एण्ड शियर फोर्स डायग्राम, स्ट्रेस

इन कम्पोजिट बार्स, टारिशन आफ सर्कुलर शाफ्ट, थिन वाल्ड प्रेशर वेसल्स, प्रापर्टीज आफ प्योर सब्सटैंस, इन्ट्रोडक्शन आफ स्टीम टेबल विद रेसपेक्ट टू स्टीम जेनरेशन प्रोसेस, वेट एण्ड सुपरहीटेड स्टेट्स, डिफनेशन आफ ड्राइनेस फैक्शन आफ स्टीम, डिग्री आफ सुपरहीट आफ स्टीम, फर्स्ट आफ ला आफ थर्मोडायनामिक्स, कन्डीशन फार स्टीडी स्टेड स्टीडी फ्लो, स्टीडी स्टेड स्टीडी फ्लो एनर्जी इक्यूशन, सेकेन्ड ला आफ थर्मोडायनामिक्स, डिफिनेशन आफ सिंक, सोर्स रिजर्ववायर आफ हीट, हीड इंजन, हीड पम्प एण्ड रिफ्रीजरेटर, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स फार आई0सी0 इन्जन, डीजल साइकिल, आई0सी0 इंजन परफार्मेन्स, रैनकाइन साइकिल एफीसिएन्सी विद एण्ड विदआउट पम्प वर्क, ब्वायलर्स क्लासीफिकेशन, स्पैसिफिकेशन, फिटिंग्स एण्ड एसेसरीज, एयर कम्प्रेशर्स एण्ड देयर साइकिल्स, प्रिन्सिपल आफ रेफ्रीरेशन प्लान्ट, नॉजिल एण्ड स्टीम टर्बाइन्स, फ्लूड मशीन एण्ड मशीनरी, फ्लूड स्टैटिक्स, मीजरमेन्ट आफ फ्लूड प्रेशर, हाइड्रोलिक टर्बाइन्स, सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पस, क्लीसीफिकेशन, प्रिन्सपल, परफार्मेन्स।

12(1)- कृषि विभाग के पदों हेतु चयन का आधार लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है। प्रश्नगत पदों पर चयन अवर अभियंता के पद पर सीधी भर्ती, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश अवर अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा नियमावली-2014 के उपबंधों तथा सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली-2002 यथासंशोधित 2014 एवं उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली- 2015 अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2015 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत होगा। तदनुसार लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि से यथासमय सूचित किया जाएगा।

13- <u>वरीयता</u>- अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय विभागों की वरीयता का विकल्प देना होगा। आयोग, अभ्यर्थियों की प्रवीणता क्रम में जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और पद की उपलब्धता, श्रेष्ठता, पद की शैक्षिक अर्हता व आयु सीमा का संज्ञान लेते हुए दी गयी वरीयता के आधार पर यथा संभव विभाग आवंटित करने का प्रयास करेगा किन्तु इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

14- <u>अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश</u>-

(1) उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

(2) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(4) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।

(5) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

(6) उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो । ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

(7) ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 यथासंशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न प्रारूप पर तथा यह कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के अधिवासी है या फिर वह तथा अभ्यर्थी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का (1) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) अथवा (2) पौत्र अर्थात (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) या पौत्री अर्थात (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) विवाहित या अविवाहित हैं।

(8) ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03 फरवरी 2008 में निर्धारित प्रारूप पर तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

(9) जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं, वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें जिसे मांगे जाने पर आयोग को प्रस्तुत करना होगा, प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परंतु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जाएगा।

(9) राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ० प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2-ई.एम. /2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त,2013 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

(10) ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे। बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

(11) अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(12) एक से अधिक क्षैतिज आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी, दी जाएगी ।

(13) चयनित महिलाओं, उ०प्र०स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांगजन को (केवल चिन्हित पदों के सापेक्ष कोटा बनने पर) आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे संबन्धित हैं।

(14) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, महिला अभ्यर्थियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांगजन, को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं हैं , ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के माने जायेंगे । महिला अभ्यर्थिनियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा ।

(15)आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को उपर्युक्त बिन्दु-7 की सारणी-1 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष बिन्दु-8 की सारणी-3 में विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। अतः अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह भली भांति सुनिश्चित कर ले कि जिस पद के लिए वे आवेदन कर रहे हैं उसके लिए विज्ञापन में दी गयी योग्यता धारित करते हैं, तभी आवेदन करें । **पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता पद की संगत सेवानियमावली में विहित शैक्षिक योग्यता के अनुरूप है। अतः पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता से इतर योग्यताधारी अभ्यर्थी यदि आवेदन करते हैं तो वे इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे ।**

(16)- उपर्युक्त बिन्दु-7 की सारणी में उल्लिखित पदों के सापेक्ष विभागों और उनके सम्मुख अंकित पदों की वरीयता का विकल्प साक्षात्कार के समय देना होगा ।

15- <u>अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश</u> –

1- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है।

2- ऑनलाइन आवेदन "सबमिट" हो जाने के पश्चात आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेंडर (लिंग) आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएँ सही-सही भरें। गलत जेंडर (लिंग) भरने अथवा जेंडर (लिंग) के अनुरूप फोटो चस्पा न करने की दशा में आवेदकों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः गलत जेंडर (लिंग) न भरें और न ही गलत फोटो चस्पा करें। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गयी सूचनाएँ अंतिम हैं, इसमें आयोग द्वारा संशोधन किया जाना संभव नहीं है।

3- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी । जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा ।

4- आयु एव शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा ।

5- परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा ।

6- जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

7- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन "सबमिट" नहीं होगा।

8- निर्धारित साइज़ की फोटो अपलोड न करने तथा निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने अथवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

9- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था,उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

10- कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है।

11- नियुक्त हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

12- ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन "सबमिट" करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं होगा।

13- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हे विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।

14- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन / चयन के संबंध में सिफ़ारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित करने का अधिकार आयोग का होगा।

15- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा वैबसाइट पर कांटैक्ट-अस से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

16- ऑनलाइन आवेदन शुल्क / परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 27.05.2016 तथा आवेदन स्वीकार "सबमिट" किए जाने की अंतिम तिथि 30.05.2016 है।

Detailed Application Form:

At the top of the page there is a declaration for the candidates are advised to go through the content of the declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the content of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree 'buttons. In case the candidate opts to disagree the application will be dropped and procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's On-Line Application.

Notification Details:

This section shows information relevant to Notification.

Personal Details

This section show information about candidate personal details i.e. Registration Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital Status, email ID and contact number.

Other Details of candidate

Other Details of candidate shows the information about UP Freedom Fighter, Ex-Army service duration and physical deformity.

Education & experience Details

It shows education and experience details of the candidate.

Candidate address, photo & signature details

It shows communication address and photo with signature of the candidate.

Declaration segment

At the bottom of the page there is a " Declaration" for the candidates. Candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview candidates detail before final submission of application form on clicking on **"Preview"** button.

Preview page will display all facts/Particulars that the candidates have mentioned on entry time. If they are sure with filled details then click on **"Submit"** button to finally push data into server with successfully submission report that they can print.
Otherwise using **"Back"** button the details can be modified.

(CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "PRINT" OPTION AVAILABLE)

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home page' of commission's website http://upsssc.gov.in CANDIDATE SEGMENT.

CANDIDATE SEGMENT
ALL Notification/Advertisements
Candidate Registration (First Stage)

Candidate E-Challan/I-Collect (Second Stage)
Submit Application Form (Third Stage)
View Application Status
List of Applications Having Photo related Objections
Download form for Eligibility Checking
Download Interview Letter
Duplicate Registration Slip & Application form
Download syllabus

I) **LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION:** On-line - Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

अनुसचिव
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

परिशिष्ट–8

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय) पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ..... ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यता रहता है।

स्थान .....

दिनांक .....

मुहर .....

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पद का नाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/

अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता–पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय 8 लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .....

दिनांक .....

मुहर .....

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पद का नाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

उ०प्र० के विकलांगों के लिये प्रमाण–पत्र

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No.....

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt./Kum. .....

Son/Wife/Daughter of Shri ..... age .....

Sex ..... identification mark (S) ..... is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor of cerebral palsy:

(i) BL-Both legs affected but not arms:

(ii) BA-Both arms affected

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(iii) BLA-Both legs and both arms affected

(iv) OL-One leg affected (right or left)

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(c) Ataxic

(v) OA-One arm affected

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(c) Ataxic

(vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)

(vii) MW-Musculer weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:

(i) B-Blind

(ii) PB-Partialy Blind

C. Hearing Impairment:

(i) D-Deaf

(ii) PD-Partialy Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of ..... year ..... months.

3. Percentage of disability in his/her case is ..... percent.

4. Sh./Smt./Kum. ..... meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

(i)	F-can perform work by manipulating with figers.	Yes/No
(ii)	PP-can perform work by pulling and pushing	Yes/No
(iii)	L-can perform work by lifting	Yes/No
(iv)	KC-can perform work by kneeling and couching.	Yes/No
(v)	B-can perform work by bending.	Yes/No
(vi)	S-can perform work by sitting.	Yes/No
(vii)	ST-can perform work by standing.	Yes/No
(viii)	W-can perform work by walking	Yes/No
(ix)	SE-can perform work by seeing.	Yes/No
(x)	H-can perform work by hearing/speaking.	Yes/No

(xi) RW-can perform work by reading and writing Yes/No

(Dr.....) (Dr.....) (Dr.....)

Member Member Chairperson

Medical Board Medical Board Medical Board

Countersigned by the

Medical Superintendent/

CMO/HQ

Hospital (with seal)

Strike out which is not applicable.

उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... निवासी ..... ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) ..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री विवाहित/अविवाहित उपर्युक्त अधिनियम 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) ..... के आश्रित हैं।

हस्ताक्षर .....

स्थान .....

दिनांक .....

पूरा नाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी .....

सील .....

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र जो उ0प्र0 के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या–22/21/1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण–पत्र के कार्य – 1 से 4

प्रारूप – 1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम ..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी ..... पूरा पता ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित ..... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय ऐसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) ..... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .....

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

मुहर .....

नोट: यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल ऐसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) ..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम .... आयोजित राष्ट्रीय ..... में उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र ..... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .....

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

पता .....

मुहर .....

नोट: यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्याल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्त के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवास (पूरा नाम) ..... विश्वविद्यालय की कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ....(स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय ..... (क्रीडा/खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्टस् अथवा इंचार्ज खेल कूद ..... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .....

दिनांक .....

पद .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

संस्था का नाम .....

मुहर .....

नोट: यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) ... . में ..... स्कूल में कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल ग्रेम्स की ..... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र डायरैक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .....

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पद .....

संस्था का नाम .....

पता .....

मुहर .....

नोट: यह प्रमाण–पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा ..... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव